

मूलवाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- राजनी माथीवाल RAS
 मुकदमा नम्बर :- 58/18 राजा विद्याल
 निर्णय दिनांक :- 25/06/18
 दावा बाबत :- अन्तर्गत द्वारा 183 रा. पी. टि. ए. व. प. बा. व. क. ज. मा. व.

वादी की ओर से की व प्रतिवादी की ओर से
 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 25/06/18 को राजनी माथीवाल (पीठासीन अधिकारी)
 उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर, आदेश किया
 जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

आपसी राजीनामे अनुषंग प्रतिवदी पत्र (गदी का)
 प्रारंभ कर, पत्र (गदी करवा कर अधिक नुमी टोन
 पर वारीक पक्ष में दा. इ. दे. गी. प्रतिवदी व. पु. प. से ना. 112LR
 वि. व. अन्तर्गत पत्र पत्रा नाने हनु पावेड किया)

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।
 यह आज तारीख 25/6/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(X) अन्वय पत्र पर
 अंकित है

()
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर
 करे

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

आवक

1. श्री श्री रामा म १० मंगी प्राम जा २ निवारी
निष्प देव ज्ञान तं करण जिलप्रीमवृत्त
वि रुडु

1. श्री शिवसिंह १० श्री सिंह मारी निवारी
निष्प देव ज्ञान तं करण
2. राजस्थान राज्य जारिये तहसीलदर सा
करे व
पति श्री गण.